न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35/2015

1 तेजसिंह पुत्र बजरंगसिंह
2 जुगलसिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शिवपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी गुढा गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
3 मृतक सज्जन कंवर स्त्री बजरंग सिंह राजपूत निवासी नेवरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (नोट–दावा दायरी से पूर्व दिनांक 03.02.2013 को मृत्यु हो चुकी है।)

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 02.12.2014 बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकदमा उनवानी शिवपाल सिंह बनाम तेजसिंह वगैरह मु.नं. 196/2014 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

अधिकारी एव
पदेन अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूँ)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 9.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 196/2014 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 778 तादादी 1 बिश्वा, खसरा नम्बर 779 तादादी 2 बिश्वा गैर मुमकिन चाह गत खसरा नम्बर 780 तादादी 3 बीघा 10 बिश्वा सरहद राजस्व ग्राम नेवरी तहत तहसील उदयपुरवाटी में स्थित है उक्त जमीन के दौराने पैमाईस हाल खसरा नम्बर 595 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह खसरा नम्बर 596 रकबा 0.90 हैक्टेयर बने। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त जमीन के बाबत एक दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व मृतका सज्जन कंवर व अन्य के विरूद्व पेश किया। उक्त दावा के साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दिनांक 28.10.2014 को अपीलान्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 02.12.2014 को एक पक्षीय निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर- (कैम्प झुन्झ

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर राजस्थान

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में पक्षकार अनावेदिका नम्बर 3 सज्जन कंवर स्त्री बजरंग सिंह का दिनांक 03.02.2013 को देहान्त हो चुका था। उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने मृतका को पक्षकार दावा बनाकर मृतका के विरूद्ध दिनांक 11.07.2014 को दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस प्रकार मृतक के विरूद्ध कानून से कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं किया जा सकता अगर मृतक व्यक्ति के विरूद्ध अगर कोई आदेश पारित भी कर दिया तो वह आदेश शुरू से ही अवैध होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस की तामील सम्यक तामील नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। जमीन गत खसरा नम्बर 778, 779, 780 हाल खसरा नम्बर 595 व 596 का पहले खातेदार सुगनसिंह पुत्र आवाजसिंह जाति राजपूत था। उक्त सुगनसिंह ने उपरोक्त जमीन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 11.12.1974 को अपीलान्टस के पिता बजरंगसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी नेवरी को 2000 रूपये के प्रतिफल के बदले कब्जे सहित विक्रय कर दिनांक 11.12.1974 को ही उप पंजीयक उदयपुरवाटी के यहां अपीलान्ट के पिता बजरंगसिंह के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर बाद भौतिक कब्जा काश्त की जांच के जरिये इन्तकाल नम्बर 156 के अपीलान्टस का पिता उक्त जमीन का खातेदार काश्तकार हुआ एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त रहा। अपीलांट के पिता बजरंग सिंह का देहान्त हो चुका है। बजरंग सिंह के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन जरिये इन्तकाल नम्बर 144 के उतराधिकार में अपीलान्ट एवं स्व. सज्जनकंवर को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। अपीलान्टस की माता श्रीमती सज्जनकंवर का भी दिनांक 03.02.2013 को देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस की माता का हक हिस्सा उसके देहान्त होने के बाद उतराधिकार में संयुक्त रूप से अपीलान्टस को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलान्टस जमीन जैर बहस के संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर खातेदार है एवं इसी मुताबिक काबिज काश्त है। विवादित जमीन में अपीलान्ट रिहायश करते है तथा पुरानी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

विद्युत कनेक्शन रिहायशी व चाह का है। अपीलान्टस ने उक्त जमीन में से कुछ जमीन ग्रामीण हित के लिये सार्वजनिक टंकी के लिये भी दी है तथा अपीलान्टस के हक में खातेदारी प्रमाण पत्र भी है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। कानून से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपार क्षति के बिन्दुओं की विस्तृत रूप से व्याख्या कर आदेश जैर बहस पारित करना चाहिये था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का जमीन जैर बहस में कोई हक हिस्सा नहीं है तथा ना ही कब्जा कभी रहा। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने गलत दावा पेश किया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्ट्री तामील करवाई गई है। किसी भी पक्षकार की मृत्यु की सूचना पत्रावली पर नहीं है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय में रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में नोटिस डिलीवरी की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में एडी भी संलग्न नहीं है। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र रजिस्ट्री को एक माह का समय होने के उपरांत तामील पर्याप्त मान ली है। अपील मेमो के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र सज्जन कंवर से स्पष्ट है कि सज्जन कंवर की मृत्यु दिनांक 03.02.2013 को हो चूकि है। विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से अप्रार्थी संख्या 3 सज्जन कंवर मृत पक्षकार के विरूद्ध दिनांक 11.07.2014 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय नलिटी होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)